3561 (E)
7/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत परवाहा–लालबंदी पथ के 6वें कि०मी० में 3 x 18m आकार का R.C.C. उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2014–15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–881(अनु0) दिनांक–05.03.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	परवाहा–लालबंदी पथ के 6वें कि०मी० में 3 x 18m आकार का R.C.C. उच्च स्तरीय पुल का निर्माण काय्र वर्ष 2014–15
2.2	एकरारनामा संख्या	:	05 SBD of 2016-17, दिनांक–03.09.2016
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹6,05,36,583.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Subhadra Construction
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	03.09.2016
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	02.12.2017
2.7	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	:	30.08.2018
2.8	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	30.08.2018

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **Electric Pole Shifting के कारण कार्य अवरूद्ध** :– कार्य स्थल पर 11KV का Electric Poles था, जिसके कारण Deck Slab एवं Approach का कार्य बाधित रहा। प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा भी बिजली पोल हटाने के लिए कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीतामढ़ी से उनके पत्रांक–620, दिनांक–08.04.2017 एवं पत्रांक–108, दिनांक–25.01.2018 द्वारा अनुरोध किया गया। Electric Poles रहते हुए सावधानी से कार्य किया गया परन्तु कार्य Electric Pole पूरी तरह से हटने के बाद ही पूर्ण हो सका। संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 130 दिनों का अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(ii) भीषण बाढ़ के कारण वर्ष 2016 में कार्य अवरूद्ध होना :– वर्ष 2016 में दिनांक–03.09.2016 को एकरारनामा किया गया। कार्य स्थल पर बाढ़ के कारण पानी भरा होने के कारण कार्य माह–अक्टूबर, 2016 तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका। साक्ष्य के रूप में विभाग को भेजा गया बाढ़ के समय का दैनिक प्रतिवेदन संलग्न किया गया। संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 28 दिनों का अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(iii) बाढ़ के कारण वर्ष 2017 में कार्य प्रभावित :– वर्ष 2017 में वर्षा एवं बाढ़ के कारण कार्यस्थल पर कार्य अवरूद्ध रहा। बाढ़ का पानी दिनांक–14.08.2017 से दिनांक–30.11.2017 तक रहने के कारण इस अवधि में कार्य अवरूद्ध रहा। विभाग को बाढ़ के समय समर्पित किए गए दैनिक प्रतिवेदन संलग्न है। संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 69 दिनों का अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(iv) बालू की अनुपलब्धता :– खान एवं भू–तत्व विभाग बिहार सरकार के पत्र–2286/M दिनांक–23.08.2017 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित न्यायादेश एवं राज्य के बंदोबस्तधारियों को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त्तों के आलोक में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदी तल से बालू का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। संवेदक द्वारा इस मद में 44 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमे कार्यपालक अभियंता द्वारा 44 दिनों की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 271 दिनों अर्थात् दिनांक–30.08.2018 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा** :–

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक–30.08.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–881(अनु0) दिनांक–05.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत परवाहा–लालबंदी पथ के 6वें कि०मी० में 3 x 18m आकार का R.C.C. उच्च स्तरीय पुल का निर्माण काय्र वर्ष 2014–15 (एकरारनामा संख्या–05 SBD of 2016-17) हेतु दिनांक–30.08.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

07/05/19	7/5/19	7.5.19	7.5.19
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–65/2019 3561(E) पटना, दिनांक 7/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।